नम्बर
अहकाम
की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 282 / 2022

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

निर्णय दिनांक :– 15/6/23

1. छोटा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति खटीक उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति:–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 92 खसरा नम्बर 518 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम ठिकरियाकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– उक्त [redacted] ख नं. 518 छाटादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति खटीक के नाम दर्ज है और कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारो से कोई सीमा विवाद है। उक्त आराजी खसरा नंम्बर में न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं है। आवेदक की भूमि की सीमाओं पर कोई भी राजकीय भूमि नहीं है । उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं नहीं होना बताया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2071–2074</u> में अंकित खाता संख्या 545 खसरा नम्बर 205 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम ठिकरिया कला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में प्रार्थी का कब्जाकाश्त है तो विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली